मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 01/परीक्षा/2016/ 19.02.2016
उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की
अंतिम तिथि **04.04.2016**

महत्वपूर्ण	
1-	आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे. आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2016 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 04.04.2016 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :- हेल्पलाइन :- 0755-4019400
2-	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें । ऑनलाइन आवेदनपत्रों में 15.03.2016 से 06.04.2016 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा ।
3-	ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।
4-	विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अत: अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहे ।
5-	आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन**, के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

बैकलाग पद :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		SC	ST	OBC	**कुल**	SC	ST	OBC	अ.बा.	दृ.बा.	श्र.बा.
1	2	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
1	भौतिक शास्त्र	26	27	0	**53**	9	9	0	2	1	1
2	रसायन शास्त्र	4	36	0	**40**	1	12	0	1	0	1
3	प्राणी शास्त्र	0	14	0	**14**	0	5	0	0	1	0
4	वनस्पति शास्त्र	0	9	0	**9**	0	3	0	0	0	0
5	सैन्य विज्ञान	1	1	0	**2**	0	0	0	0	0	0
6	गृह विज्ञान	11	16	0	**27**	4	5	0	0	1	1
7	गणित	9	38	0	**47**	3	13	0	1	0	2
8	वाणिज्य	37	53	0	**90**	12	17	0	3	2	1
9	भूगोल	3	3	0	**6**	1	1	0	0	0	0
10	हिन्दी	30	47	5	**82**	10	16	2	2	2	1
11	अँग्रेजी	24	58	17	**99**	8	19	6	1	2	1
12	विधि	13	14	2	**29**	4	5	1	1	1	0
13	समाज शास्त्र	24	33	0	**57**	8	11	0	1	1	2
14	मनोविज्ञान	3	6	0	**9**	1	2	0	0	0	0
15	अर्थशास्त्र	24	62	4	**90**	8	20	1	2	1	3
16	राजनीति शास्त्र	24	47	8	**79**	8	16	3	1	2	1
17	उर्दू	3	3	0	**6**	1	1	0	0	1	0
18	संगीत	3	3	0	**6**	1	1	0	0	0	0
19	दर्शनशास्त्र	3	4	1	**8**	1	1	0	0	0	0
20	अरबी	0	1	0	**1**	0	0	0	0	0	0
21	भूगर्भ शास्त्र	4	4	1	**9**	1	1	0	0	0	0
22	नृत्य	1	1	1	**3**	0	0	0	0	0	0
23	लोक प्रशासन	1	1	0	**2**	0	0	0	0	0	0
योग		248	481	39	768	81	158	13	15	15	14

पदोन्नति/ सेवा निवृत्ति से रिक्त पद

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		UR	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	अ.बा.	दृ.बा.	श्र.बा.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	वनस्पति शास्त्र	37	12	15	10	**74**	12	4	5	3	1	1	1
2	वाणिज्य	32	10	13	9	**64**	11	3	4	3	1	1	1
3	नृत्य	3	1	1	1	**6**	1	0	0	0	0	0	0
4	अर्थशास्त्र	32	10	13	9	**64**	11	3	4	3	1	1	1
5	अँग्रेजी	28	9	11	8	**56**	9	3	4	3	0	1	1
6	भूगोल	13	4	5	14	**36**	4	1	2	5	1	1	1
7	भूगर्भ शास्त्र	1	0	1	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0
8	हिन्दी	20	6	7	5	**38**	7	2	2	2	1	1	1
9	इतिहास	34	11	14	9	**68**	11	4	5	3	1	1	1
10	गृह विज्ञान	1	0	1	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0
11	विधि	44	14	16	12	**86**	15	5	5	4	2	2	2
12	मराठी	2	1	1	0	**4**	1	0	0	0	0	0	0
13	गणित	25	8	10	7	**50**	8	3	3	2	2	1	1
14	दर्शनशास्त्र	2	1	1	0	**4**	1	0	0	0	0	0	0
15	भौतिक शास्त्र	38	12	15	11	**76**	13	4	5	4	2	2	2
16	राजनीति शास्त्र	43	14	7	12	**76**	14	5	2	4	2	2	2
17	समाज शास्त्र	9	3	3	3	**18**	3	1	1	1	0	0	0
18	प्राणी शास्त्र	43	14	3	26	**86**	14	5	1	9	2	2	2
19	संस्कृत	18	6	7	5	**36**	6	2	2	2	1	1	1
20	रसायन शास्त्र	35	11	14	10	**70**	12	4	5	3	1	1	1
योग		**460**	**147**	**158**	**151**	**916**	**153**	**49**	**50**	**51**	**18**	**18**	**18**

नवीन सृजित पद :

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्त अभ्यर्थियों		
		UR	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	अ.बा.	दृ.बा.	श्र.बा.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	वनस्पति शास्त्र	30	10	12	8	**60**	10	3	4	3	1	1	1
2	वाणिज्य	33	10	13	9	**65**	11	3	4	3	1	1	1
3	नृत्य	3	1	1	0	**5**	1	0	0	0	0	0	0
4	अर्थशास्त्र	25	8	10	7	**50**	8	3	3	2	1	1	1
5	अँग्रेजी	27	9	11	8	**55**	9	3	4	3	1	1	1
6	भूगोल	16	4	6	4	**30**	5	1	2	1	1	1	1
7	भूगर्भ शास्त्र	8	2	3	2	**15**	3	1	1	1	0	0	0
8	हिन्दी	6	2	2	2	**12**	2	1	1	1	0	0	0
9	इतिहास	30	10	12	8	**60**	10	3	4	3	1	1	1
10	गृह विज्ञान	6	1	2	1	**10**	2	0	1	0	0	0	0
11	विधि	9	2	3	2	**16**	3	1	1	1	0	0	0
12	मराठी	2	1	1	0	**4**	1	0	0	0	0	0	0
13	गणित	8	2	3	2	**15**	3	1	1	1	0	0	0
14	सैन्य विज्ञान	3	1	1	0	**5**	1	0	0	0	0	0	0
15	संगीत	2	0	1	0	**3**	1	0	0	0	0	0	0
16	दर्शनशास्त्र	2	0	0	0	**2**	1	0	0	0	0	0	0
17	भौतिक शास्त्र	30	9	12	8	**59**	10	3	4	3	1	1	1
18	राजनीति शास्त्र	20	6	8	6	**40**	7	2	3	2	1	1	1
19	मनोविज्ञान	6	1	2	1	**10**	2	0	1	0	0	0	0
21	उर्दू	1	0	0	0	**1**	0	0	0	0	0	0	0
22	प्राणी शास्त्र	27	8	10	7	**52**	9	3	3	2	1	1	1
23	रसायन शास्त्र	27	9	11	8	**55**	9	3	4	3	1	1	1
24	लोक प्रशासन	2	0	1	0	**3**	1	0	0	0	0	0	0
25	अरबी	1	0	1	0	**2**	0	0	0	0	0	0	0
योग		**354**	**105**	**137**	**91**	**687**	**119**	**34**	**45**	**32**	**11**	**11**	**11**

दो - पद का विवरण

(A) **विभाग का नाम** : **मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग**

(B) **श्रेणी** : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(C) **पद स्थिति** : स्थायी

(D) **वेतनमान** : रुपये 15600-39100 + एजीपी 6000

(E) **कर्तव्य** : शैक्षणिक कार्य

(F) **पद का नाम** : **सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor)**

(G) **अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता** (1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सापेक्ष विषय (विज्ञापित विषय) में 55 प्रतिशत अंकों (ग्रेडिंग प्रणाली में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी भी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त कोई समतुल्य डिग्री हो।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (ग्रेडिंग प्रणाली में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। साथ ही वर्ष 1991 से पूर्व स्नातकोत्तर उपाधि धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों (ग्रेडिंग प्रणाली में समतुल्य ग्रेड) के साथ स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण करना अनिवार्य

होगा।

(2) उपरोक्त अर्हताओं के अतिरिक्त अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) अथवा सी. एस. आई. आर. अथवा इसके समतुल्य परीक्षण जिसे यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित किया गया है जैसा कि स्लेट/सेट आदि धारित करना अनिवार्य होगा।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जिनको यू.जी.सी. नियमन-2009 के अनुरूप पी.एच.डी. डिग्री प्रदान हुयी है नेट/स्लेट/सेट की पात्रता शर्तो की अनिवार्यता से छूट होगी। इस हेतु अभ्यर्थियों को पात्रता से संबन्धित अभिलेखों के साथ संबन्धित विश्वविद्यालय से जारी यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा धारित पी.एच.डी. यू.जी.सी. नियमन-2009 के अनुरूप की गयी है।

(4) जिन विषयों में नेट/स्लेट आयोजित नहीं की जाती उनमें नेट/स्लेट की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

(यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विज्ञापन में विज्ञापित सभी विषयों में नेट/स्लेट आयोजित की जाती है)

टीप:- कुछ विषयों हेतु मान्य UGC NET/SLET विषयों की जानकारी

(उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1 यथा संशोधित समसंख्यक आदेश दिनांक 02.07..2014)

क्र.	विषय	मान्य विषय	पात्रता परीक्षा
1	भौतिक शास्त्र	Physical Sciences	CSIR UGC NET
2	रसायन शास्त्र	Chemical Sciences	CSIR UGC NET
3	प्राणी शास्त्र	Life Sciences	CSIR UGC NET
4	वनस्पति शास्त्र	Life Sciences	CSIR UGC NET
5	सैन्य विज्ञान	Defence and Strategic Studies	UGC NET
6	गणित	Mathematical Sciences	CSIR UGC NET
7	भू-गर्भ शास्त्र	Earth Sciences	CSIR UGC NET
8	नृत्य	Performing Arts-Dance,DramaTheater	UGC NET

(H) **आयु सीमा:** **मध्य प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों हेतु** :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों हेतु :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 35 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

(I) **आयु संगणना तिथि** 01.01.2017

तीन (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताये ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **04.04.2016** तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है।

(iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(iv) **किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।**

(v) **सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार नि:शक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी । न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगें।**

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा नि:शक्तजन हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला तथा नि:शक्तजन हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है तथा अन्य प्रदेशों के नि:शक्तजन तथा महिला

अभ्यर्थी आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।

(vii) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट -1** देखें।

चार **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालया में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।**

छः **अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष**

सात **चयन प्रक्रिया :-**

(1) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों तथा यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों/ मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक संकायों की अध्ययन शालाओं में अतिथि विद्वान है तो इस रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक के योग के आधार पर होगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों की संख्या के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जायेगा। ऑनलाइन परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस प्रकार उनके लिये लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(3) ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम में अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर सफल अभ्यर्थियों से उनकी पात्रता से संबन्धित समस्त अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे। जो अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करेंगें उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

(4) अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात जो अभ्यर्थी अर्ह पाये जायेंगे केवल उन्हें ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से साधारण डाक द्वारा पत्र भेजकर / आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर सूचित किया जायेगा।

(5) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

(6) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की योजना हेतु परिशिष्ट-4 देखें। ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट

www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com. पर उपलब्ध है जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि एवं तत्सम्बंधी व्यवस्था यथासमय "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com. पर प्रकाशित किया जाएगा।

आठ **ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तथा केंद्र** :- ऑनलाइन परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा स्थित निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर जुलाई 2016 के तृतीय सप्ताह से प्रारम्भ होगी । आवेदकों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम की जा सकती है। ऑनलाइन परीक्षा की समय सारिणी तथा तथा अन्य आवश्यक जानकारियां यथासमय **"रोजगार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com.** पर उपलब्ध कराई जाएगी।

नौ **आवेदन प्रक्रिया :-** उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट -2** का अवलोकन करें।

दस अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर ही आयोग द्वारा आवश्यक पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी का वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को चाहिये कि वह अविलंब नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। अभ्यर्थी द्वारा वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. परिवर्तन की स्थिति में नए वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. की सूचना न देने पर आवश्यक पत्र-व्यवहार पुराने वर्तमान पते अथवा ई-मेल आई डी. पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

ग्यारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट -1**

(ii) मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों हेतु देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट की व्यवस्था **परिशिष्ट -2**

(iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट -3**

(iv) परीक्षा योजना हेतु **परिशिष्ट -4**

(v) ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश **परिशिष्ट-5**

सचिव

(एक) **उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

(1) **म.प्र. मध्य प्रदेश शासन** , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-11/2012/1/3, दिनांक 13.01.2016 द्वारा निर्धारित विभिन्न श्रेणियों हेतु निम्नानुसार अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार है :-

क्र.	आवेदक	मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु सीमा (वर्ष में)	मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदकों के लिए आयु सीमा (वर्ष में)
1.	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40	35
2.	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
3.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	35
4.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग शासकीय/ निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
5.	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45	35
6.	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45	35
7.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45	35

(2) नि:शक्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। **सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार नि:शक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी । न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगें।**

(3) उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है तथा मध्य प्रदेश के राज्य पोषित विश्वविद्यालयों की अध्ययन शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध पारदर्शी निर्धारित चयन प्रक्रिया से नियुक्त कार्यरत विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के अतिथि विद्वानों को जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनके अतिथि विद्वान के रूप में कार्य अनुभव के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी **(वर्तमान व्यवस्था :- सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)** । **(देखें परिशिष्ठ-2) ।**

उक्त छूट जनभागीदारी के तहत संचालित पाठ्यक्रमों के अतिथि विद्वानों को देय नहीं होगी।

(5) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवा का योग हो) कम कराने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छ: मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(6) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु

सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार रहेगी।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूटें

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3)1, दिनांक 11 जनवरी 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों मे से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) **समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग नि:शक्त तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होगें।**

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :-

(01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 5) (दो) (1 से 3) मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है।

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ। 1-22-2009-अड़तीस, दिनांक 15.04.2014 द्वारा मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भारती नियम, 1990 के नियम 11 के उप नियम (7) के पश्चात (8) निम्नानुसार स्थापित किया गया है :-

" (8) उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक अथवा क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक अथवा क्रीडा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप मे किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक प्राप्त करेंगें। वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे। ऐसे अतिथि विद्वानों को कार्य अनुभव के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी "

टीप :- (1) मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, द्वारा आदेश क्रमांक एफ. 01-118/2012/38-1, दिनांक ---/01/2016 द्वारा यह आदेशित किया है कि :-

मध्य प्रदेश के राज्य पोषित विश्वविद्यालयों की अध्ययन शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध पारदर्शी निर्धारित चयन प्रक्रिया से नियुक्त कार्यरत विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के अतिथि विद्वानों के लिए भी शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त विभिन्न विषयों के सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी होने वाले विज्ञापन में आवेदन करने के लिए संदर्भित उक्त अधिसूचित छूट एवं अधिभार प्रभावशील मान्य किया जाता है।

टीप :- (2) मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, द्वारा पत्र क्रमांक एफ. 01-118/2012/38-1, दिनांक 29/01/2016 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि :-

शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना अंतर्गत जनभागीदारी समिति द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अतिथि विद्वानों को शैक्षणिक व्यवस्था हेतु आमंत्रित किया जाता है । सहायक प्राध्यापकों के पद हेतु आवेदन करने पर शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार आमंत्रित अतिथि विद्वानों के समान आयु सीमा में छूट तथा अंकों के अधिभार का लाभ जनभागीदारी से संचालित पाठ्यक्रमों हेतु नियुक्त अतिथि विद्वानों को देय नहीं होगा।

(1) उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों/ मध्य प्रदेश के राज्य पौषित विश्वविद्यालयों की अध्ययन शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध पारदर्शी निर्धारित चयन प्रक्रिया से नियुक्त कार्यरत विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के अतिथि विद्वानों के रूप में कार्य करने वाले सहायक प्राध्यापकों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी :_

वरीयता अंक :-

1	एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कालखंडों पर	04 अंक
2	एक शैक्षणिक सत्र में 101 या 150 तक के मध्य कालखंडों पर	03 अंक
3	एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 तक के कालखंडों पर	02 अंक
4	एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखंडों पर	01 अंक

आयु सीमा में छूट :-

	एक शैक्षणिक सत्र में अनुभव के चार अंक प्राप्त होने पर	01 वर्ष
टीप:-	आवेदक सम्पूर्ण अतिथि अध्यापन अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम 04 वरीयता	

	अंक अधिकतम 20 अंक एवं प्रति सत्र 04 अंक प्राप्त करने पर ही एक वर्ष की छूट अधिकतम 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार अधिकतम आयु सीमा की छूट से अधिक नहीं होंगें (**वर्तमान व्यवस्था:-** समस्त प्रकार की छूटों को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी)

(2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है वे इस परिशिष्ट-2 से संलग्न **प्रपत्र -एक** में संबंधित महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगें।

(3) उक्त प्रमाण-पत्र/ प्रमाण-पत्रों के आधार पर इस परिशिष्ट-2 से संलग्न **प्रपत्र -दो** (गणना-पत्रक) की अध्यापन अनुभव के आधार पर पूर्ति करेंगें तथा तत्पश्चात उक्त गणना पत्रक को प्रमाणीकरण हेतु अग्रणी महाविद्यालय में प्राधिकृत जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें।

(4) अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना-पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा-स्थान किया जाएगा जिससे उसे 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्यधीन अधिकतम आयु सीमा में गणना-पत्रक में अभिप्रमाणित छूट प्राप्त हो सकेगी।

(5) जिन अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत विभाग द्वारा स्वीकृत विषयों में अतिथि विद्वानों के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी उपरोकतानुसार वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।

(5) मध्य प्रदेश के राज्य पोषित विश्वविद्यालयों की अध्ययन शालाओं में रिक्त पदों के विरुद्ध पारदर्शी निर्धारित चयन प्रक्रिया से नियुक्त कार्यरत विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों के अतिथि विद्वानों हेतु प्रमाणीकरण की व्यवस्था उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा अभिनिर्धारित रीति से की जाएगी।

प्रपत्र- एक

कार्यालय, प्राचार्य, ... (शासकीय महाविद्यालय का नाम)

शासकीय महाविद्यालय का पता, दूरभाष एवं ई-मेल: ....

....

अनुभव प्रमाण-पत्र

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सहायक-प्राध्यापक सीधी भर्ती के सन्दर्भ में मान्य)

(अतिथि विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु)

क्रमांक: .... स्थान: ...., दिनांक: ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... (अतिथि विद्वान का नाम) आत्मज/आत्मजा श्री .... ने इस महाविद्यालय के .... विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में निम्नानुसार सत्रों में शैक्षणिक कार्य संपन्न किया :

क्रमांक	शैक्षणिक सत्र	कुल कालखंडो की संख्या	रिमार्क

टीप: यह अनुभव प्रमाण-पत्र महाविद्यायीन लेखा एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जारी किया गया है|

स्थान: ....

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य का नाम ....

प्राचार्य की पद मुद्रा

अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक

प्रपत्र-2

(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य अनुभव के अधिभार की गणना बाबत)

विषय:

आवेदक का पूरा नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने पर, अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जावेगें| अधिभार की गणना हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए शैक्षणिक-कार्य अथवा लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के रूप में कार्य करने पर निम्न तालिकानुसार अनुभव के अंक प्रदान किये जावेगें:

1. एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कालखण्डों पर : 04 अंक
2. एक शैक्षणिक सत्र में 101 से 150 के मध्य कालखण्डों पर : 03 अंक
3. एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 के मध्य कालखण्डों पर : 02 अंक
4. एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखण्डों पर : 01 अंक
5. लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के लिए कालखण्डों के स्थान पर कार्यदिवस की संख्या प्रतिस्थापित करें|

अधिभार की गणना की तालिका

शैक्षणिक सत्र (अधिकतम पांच)	क्रमांक	महाविद्यालय/यों का/के नाम	महाविद्यालयवार कालखण्डों/ कार्यदिवस की संख्या	सत्रवार कालखण्डों / कार्यदिवस की कुल संख्या	सत्रवार अनुभव के अंक	सत्रवार अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट	संलग्न प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक
.... (प्रथम सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (द्वितीय सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (तृतीय सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (चतुर्थ सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (पंचम सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
अनुभव के कुल अंकों का योग (अधिकतम अंक 20):							

अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणीकरण के लिए आरक्षित स्थान

अनुभव के कुल अंक : [ ]

आयु सीमा में छूट : [...........]

(जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)

प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक: ....

<u>टीप-1</u>: आयु सीमा में छूट का लाभ भी उपरोक्त गणना के अनुसार प्रति सत्र अनुभव के लिए 01 वर्ष की दर से अधिकतम पांच वर्ष की छूट का लाभ लिया जा सकता है| इस प्रकार उपरोक्त छूट को जोड़ते हुए आवेदक की आयु विज्ञापन में निर्धारित तिथि को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए|

2: जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अनुभव के अंक एवं आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा|

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- **सहायक प्राध्यापक** के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें

1. www.mponline.gov.in
2. www.mppscdemo.in
3. www.mppsc.com
4. www.mppsc.nic.in

3- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र mponline के अधिकृत कियोस्क से आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान करके भर सकते है। इसके अतिरिक्त अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है। **mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है। mponline के अधिकृत कियोस्क की सूची उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।**

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगें। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- **त्रुटि सुधार सुविधा :-** आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **15.03.2016 से 06.04.2016** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

09- आवेदक यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- **परीक्षा तथा आवेदन शुल्क**

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन हेतु	**शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों हेतु**
₹ 600/-	**₹ 1200/-**
सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्त शुल्क के अतिरिक्त ₹ 40/- (सेवाकर सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	

टीप: **आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-**

01 यदि आयोग द्वारा विज्ञापन निरस्त किया जाये अथवा

02 किसी कारण से परीक्षा अथवा चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाय

नोट : **अभ्यर्थी आवेदन तथा परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के सिवा आँय किसी भी राशि का भुगतान न करें तथा यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है अथवा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु Mponline से निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-**

हेल्पलाइन :- 0755-4019400

3- **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **<u>04.04.2016</u>** है। अंतिम तिथि को रात्रि **12:00** बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4- **आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नही करने हैं किन्तु ऑनलाइन परीक्षा में अभिलेख प्रेषण हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों को आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

<u>आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-</u> केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

<u>शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :-</u> हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदन ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

<u>अनुभव के प्रमाण पत्र :-</u> अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।

<u>नि:शक्तता प्रमाण-पत्र :-</u> नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) नि:शक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। **सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार नि:शक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी । न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगें।**

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण-पत्र (जो की आवेदन की अंतिम तिथिको छ: माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है| यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयम जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में आवेदक का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। **<u>विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा| अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं</u>**

<u>होंगें। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।</u>

मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के प्रमाण-पत्र तथा गणना पत्रक :- मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों / मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक संकायों की अध्ययनशालाओं में अतिथि विद्वान के रूप में संपादित कार्यानुभव का **प्रमाण-पत्र** संबन्धित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से परिशिष्ठ -2 में उल्लेखित प्रपत्र-1 में प्राप्त करें तथा कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का **गणना-पत्रक** प्रपत्र -2 में अग्रणी महाविद्यालय से प्राप्त करें। उक्त दोनों प्रपत्रों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

विधवा, परित्यक्ता तथा तलाक़शुदा हेतु उच्चतम आयुसीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

कार्यरत/ छंटनी किये गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु ग्रीनकार्ड।

<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(दो-2) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(दो-3) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

अभिलेखों के स्वप्रमाणन के संदर्भ में अनुदेश :-
ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों की छायाप्रतियों का प्रमाणन राजपत्रित अधिकारी से कराना आवश्यक नहीं है । अभिलेखों की छायाप्रतियों का स्वप्रमाणन आवेदक द्वारा किया जा सकेगा। आवेदक ध्यान रखें कि उनके द्वारा प्रमाणित अभिलेख गलत तथा त्रुटिपूर्ण अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है।

6- **अनुशासनिक निर्देश :-**

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

<u>तब आयोग द्वारा :-</u>

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुसंशा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

<u>एवं तब शासन द्वारा :-</u>
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- **अनर्हतायें:-** ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

9- **अत्यंत महत्वपूर्ण:-** आवेदक कृपया ध्यान रखें की परीक्षा केंद्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने तथा उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी।

1	पासपोर्ट	6 शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र
2	मतदाता पहचान पत्र	7 बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक
3	ड्रायविंग लायसेंस	8 शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र
4	पैन कार्ड	9 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र
5	आधार कार्ड	(केवल आधार कार्ड की फोटोकापी मान्य होगी)

परीक्षा में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक के पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को परीक्षा/ साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10- ऑनलाइन परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-

01 ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। आवेदक को उसके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही आभिलेख प्रेषण के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमे प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध कराये गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जायेगा।

11- यात्रा व्यय का भुगतान :-

(अ) निम्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी :-

1. मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जो कही सेवारत न हों।

2. मध्य प्रदेश के मूल निवासी 40 % या अधिक नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-

1. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

2. नि:शक्तता के प्रमाणन हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।

3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो ।

(द) **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के IFSC Code का उल्लेख करना तथा तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ट की स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।**

(इ) यात्रा व्यय भुगतान की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी अपने वर्तमान पते के निकटतम शहर को प्रथम विकल्प के केंद्र के रूप में चुने।

(फ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

सहायक प्राध्यापक परीक्षा –2016

परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम

(1) **परीक्षा योजना**

(अ) अंक योजना:– ऑनलाइन परीक्षा हेतु कुल 400 अंक तथा साक्षात्कार हेतु कुल 50 अंक निम्नानुसार निर्धारित है :–

लिखित परीक्षा			**अंक**
प्रथम प्रश्न–पत्र	**सामान्य अध्ययन**		100
	खंड–अ	मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय	
	खंड–ब	1–पर्यावरण अध्ययन	
	खंड–स	2–उद्यमिता विकास	
	खंड–द	3–कम्प्यूटर कान्सेप्ट	
द्वितीय प्रश्न–पत्र	**पद से सम्बन्धित विषय**		300
		लिखित परीक्षा के कुल अंक	400
साक्षात्कार			50
		कुल अंक	450

(ब) प्रश्न–पत्र योजना :

(1) दोनो प्रश्न–पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्प) प्रकार के होंगें । प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प (A, B, C, D) होंगें । अभ्यर्थी को सही विकल्प को चयनित करना होगा।

(2) प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें चार खंड होगें । प्रथम प्रश्नपत्र में 1-1 अंक के कुल 100 प्रश्न होंगे तथा उसका पूर्णांक 100 होगा ।

(3) द्वितीय प्रश्नपत्र पद से सम्बन्धित विषय का होगा जिसमें 2–2 अंकों के कुल 150 प्रश्न पूंछे जायेंगे । इस प्रकार इस प्रश्नपत्र का पूर्णांक 300 होगा ।

(4) प्रथम प्रश्न–पत्र की अवधि 90 मिनट तथा द्वितीय प्रश्न–पत्र की अवधि 2 घंटे की होगी ।

(5) <u>भाषा से संबन्धित विषयों के प्रश्न-पत्र केवल संबन्धित भाषा में होंगें। शेष विषयों के प्रश्न-पत्र अँग्रेजी व हिन्दी दोनों भाषाओं में होंगें।</u>

(स) ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्णांक :

ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्नपत्र में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग तथा

नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है , लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

(द) अभिलेख प्रेषण :

ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को अभिलेख प्रेषण हेतु सफ़ल घोषित किया जायेगा । इस हेतु ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम में अंतिम तिथि निर्धारित कर सफ़ल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त किये जायेंगें । जो अभ्यर्थी निर्धारित अन्तिम तिथि तक अभिलेख प्रस्तुत नहीं करेंगें उनकी अभ्यर्थिता समाप्त की जायेगी ।

(द) साक्षात्कार :

केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा जो अभिलेखों के सूक्ष्म परीक्षण के आधार पर अर्ह पाये जायेंगें । साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होगें ।

(इ) अतिथि विद्वानों को देय वरीयता अंक :

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वानों को उनके अध्यापन अनुभव के आधार पर अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अभिप्रमाणित गणना–पत्रक के आधार पर अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक दिये जायेंगें।

(फ़) चयन विधि :-

उपरोक्त पदों पर अन्तिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांको तथा यदि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों/ मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तपोषित राज्य विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक संकायों की अध्ययन शालाओं में अतिथि विद्वान है तो इस रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक के योग के आधार पर होगा।

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश

ऑनलाईन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है :-

परीक्षा पूर्व निर्देश

1. परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in अथवा www.mppsc.com में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक नम्बर गुम गया है तो वे ऑनलाईन रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (ONE TIME PASSWORD)/टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी) /वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते है।

2. परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे ।

3. परीक्षार्थियों हेतु निम्न टोल फ्री हेल्प लाईन तथा ई-मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी :-

   हेल्प लाईन नम्बर – **0731-2702689**

   ई-मेल – **mppsconline@gmail.com**

4. आयोग की वैबसाईट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑन लाईन परीक्षा प्रणाली से अपने आप को प्रशिक्षित कर सकेगा ।

5. परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके ।

6. परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रानिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है ।

7. निःशक्त परीक्षाथियों को सहलेखक की पात्रता होगी, सहलेखक की शैक्षणिक योग्यता अधिकतम हायर सैकण्डरी होगी एवं उन्हें परीक्षा में प्रश्नपत्र हल किये जाने हेतु निर्धारित समय के अतिरिक्त 40 मिनिट का समय दिया जायेगा, इस हेतु परीक्षार्थी केन्द्राध्यक्ष से परीक्षा तिथि के एक दिन पूर्व आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करें । सहलेखक की व्यवस्था परीक्षार्थी स्वयं करेगा एवं केंद्राध्यक्ष से अनुमति प्राप्त करेगा। आयोग द्वारा सहलेखक को किसी भी प्रकार के मानदेय/यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

8. परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड, एवं फोटो की जॉच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी के साथ मिलान किया जायेगा । तत्पश्चात बॉयोमेट्रिक वेरिफिकेशन (दॉये हाथ का अंगूठा, दॉये हाथ का अंगूठा न होने पर बॉये हाथ का अंगूठा एवं दोनों अंगूठे न होने पर बॉये/दॉये हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अंगूठे का वेरिफिकेशन) किया जावेगा ।

9. परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी । जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुऐं अन्दर न ले जा सके ।

<u>परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुयें</u>

सामान्यत: ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफ़लिंक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रानिक डिवाइस का प्रयोग करते है। अत: परीक्षा में किसी इलेक्ट्रानिक डिवाइस के उपयोग को रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। अभ्यर्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर ए सकते है। चेहरे को ढकने वाला स्कार्फ, रूमाल, दुपट्टा या अन्य प्रकार की कोई भी वस्तु वर्जित होगी। एसेसरीज़ जैसे हेयर क्लिप, क्लचर, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स/वालेट, टोपी इत्यादि वर्जित है।

सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के आभूषण का सूक्ष्मता से परीक्षण व तलाशी ली जायेगी।

10. आयोग द्वारा निम्न फोटो आई–डी कार्ड मान्य किये गये है, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा । फोटो आई–डी की फोटोकॉपी मान्य नहीं की जावेगी :– (केवल आधार कार्ड की फोटोप्रति मान्य होगी)

1) मतदाता परिचय पत्र

2) आधार कार्ड (फोटोकापी मान्य)

3) ड्राईविंग लायसेंस

4) पेन कार्ड

5) पासपोर्ट

6) फोटो सहित बैंक पासबुक

7) केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र ।

8) शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र ।

9) अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो ।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें

11. सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी ।

12. आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा ।

13. रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलॉट किये जावेगे।

14. ऑनलाईन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये है जो प्रश्नपत्र को आयोग से सुरक्षितरूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।

15. परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठे ।

16. परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं **प्रवेश-पत्र पर अंकित** पासवर्ड द्वारा लॉग इन कर सकेंगे ।

17. परीक्षार्थी द्वारा लॉग इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page, Symbol page display होगा ।

18. परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेगे तत्पश्चात स्क्रीन पर मॉडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा । उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माऊस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/ **तकनीकी सहायक** को उक्त संबंध में अवगत करेंगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जा सके ।

19. परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है ।

20. प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन **शीट** के आधार पर बॉये/दॉये हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था ।

21. परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात, 01:30 घण्टे पश्चात परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म बजेगा परीक्षा समाप्ति पर बजेगा ।

22. परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नो के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा ।

23. **परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जायेगी । उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा ।**

24. यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सबमिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सबमिट कर बन्द हो जावेगी

परीक्षा पश्चात की कार्य प्रक्रिया

25. अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F form में पुनः अवलोकन कर सकेंगें। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे ।

26. मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निः शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर अंकित पते से परीक्षा केन्द्र शहर तक का यात्रा भत्ते का भुगतान उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित बैंक खाते में ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा;

    इस हेतु अभ्यर्थियों को वांछित घोषणा–पत्र तथा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है

    - अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र की फोटो कापी / जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र
    - यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा का विवरण तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो

27. परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं माडल उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई–मेल आई–डी पर भेजी जावेगी ।

28. मॉडल ऑसर परीक्षोपरान्त आयोग की वैब साईट पर उपलब्ध रहेंगे ।

29. परीक्षा पश्चात परीक्षार्थी प्रश्नपत्र से संबंधित अपने Objections 7 दिवस की अवधि में अपना नाम, रोल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर ऑन लाईन भेज सकेंगे।